न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00007 दायरा दिनांक : 24.01.2019

उनवान

1— शंकरलाल
2— प्रभुलाल
पिसरान देवा जाति लोधा
3— गंगा बाई बेवा स्व. देवा
4— कजोडी बाई
5— धापू बाई
6— नुरका बाई
7— लक्ष्मा बाई
पुत्रियां स्व0 देवा जाति लोधा निवासीगण ग्राम भावपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज0

...., अपीलांट

बनाम

1— भैरू पुत्र स्व0 लालजी जाति लोधा निवासी ग्राम भावपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज0
2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री विधाशंकर गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 06.08.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद के प्रकरण संख्या – 11/2013 निर्णय दिनांक 30.04.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

6/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 आरटीएक्ट प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम भावपुरा तहसील छीपाबडोद खसरा नं. 207 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 584 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा, कुल दो किता की 21 बीघा 12 बिस्वा देवा, भैरू पुत्र लालजी लोधा के खाते दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय छीपाबडौद के निर्णय दिनांक 30.04.2015 से अप्रसन्न होने के कारण अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की है।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध एवं न्याय संचिका में निहित तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में निहित साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का भली भांति विवेचन ना कर मनमाने तौर पर आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है। ग्राम भावपुरा तहसील छीपाबडोद खसरा नं. 207 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 584 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा, कुल दो किता की 21 बीघा 12 बिस्वा देवा, भैरू पुत्र लालजी लोधा के संयुक्त रूप से खाते में दर्ज है। इसके अलावा इसी ग्राम में खसरा नं. 584 की 14 बीघा 4 बिस्वा जो आंवटित भूमि है जो स्व0 देवा की मृत्यु उपरांत उसके वारिसान अपीलांट के खाते में दर्ज है। इस प्रकार संपूर्ण आराजीयात का महाखातेदार स्व0लालजी था और लालजी की मृत्यु उपरांत उसके दोनों पुत्रों देवा व भैरू के नाम दर्ज हुयी किंतु दुर्भाग्यवश देवा की भी मृत्यु हो जाने के उपरांत उसकी 1/2 हिस्से की आराजीयात के मालिक अपीलांट हो गये इसी अनुसरण में संपूर्ण आराजीयात में देवा की मृत्यु उपरांत अपीलांट्स एवं भैरू लोधा सयुंक्त रूप से 1/2, 1/2 में हिस्सेदारान है। किन्तु रेस्पो नं.1 की नियत में बदनियति आ जाने के कारण वह अपीलांट्स के 1/2 हिस्से की आराजी को हडप करना चाहता है। इसी उद्देश्य से उसने साजिशपुर्ण तरीके से तथ्यों को छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय में दावा 88, 89, 91, 92ए, 188 आर.टी.एक्ट का पेश किया जिसमें धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र वास्ते स्थगन पेश किया। किन्तु धारा 53 आरटीएक्ट का अपने दावे में उल्लेख नहीं किया जबकि बहुत आवश्यक था क्योंकि उक्त प्रकरण मूलतः विभाजन से संबंधित है। इस प्रकार रेस्पो नं. 1 द्वारा की गयी बदनियति व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जाहिर ना कर मनमाने तौर से उक्त प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार करने में भारी विधिक त्रुटि की है।

6/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सयुंक्त खाते की आराजी होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र रेस्पो नं 1 का कब्जा मानकर प्रकरण निस्तारण में त्रुटि की है जबकि सहखातेदारान की भूमि पर सभी सहखातेदारान का एक एक इंच भूमि पर समान रूप से कब्जा माना जाता है जो कानूनी तथ्य है। जिनको नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। कानूनन वैसे भी एक सहखातेदार अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। किन्तु उसके बावजूद भी कानूनी तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए मात्र रेस्पो कम 1 भैरू को लाभान्वित करने की गरज से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतो का उल्लंघन करते हुए उसके पक्ष में स्थगन आदेश जारी करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पों नं. 1 भैरू के पक्ष में स्थगन जारी करने से अवैध आदेश की आड में वह अपीलांट को विवादित भूमि से बेदखल करने पर आमदा है जबकि अपीलांटस के पास विवादित आराजी के अलावा भरण पोषण का अन्य जरिया उपलब्ध नहीं है ऐसी सूरत में उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गयी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.04.2015 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.12.2018 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट अनुपस्थित होने के कारण अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी एकतरफा बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी में अपीलांट्स सहखोतदार है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा 53 का करना चाहिए था लेकिन गलत धाराओं में पेश किया गया। सहखातेदार होने के कारण अपीलांटस् का आराजी में 1/2 हिस्सा है। सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

6/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं अपीलांट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलम्ब का शमन किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। उक्त विवादित आराजी लालजी की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्रों देवा व भैरू के नाम दर्ज हुयी तत्पश्चात् देवा की भी मृत्यु हो जाने के उपरांत उसकी 1/2 हिस्से की आराजीयात के मालिक अपीलांट हो गये इसी अनुसरण में संपूर्ण आराजीयात में देवा की मृत्यु उपरांत अपीलांट्स एवं भैरू लोधा सयुंक्त रूप से 1/2, 1/2 में हिस्सेदारान है। सयुंक्त खाते की आराजी होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र रेस्पो नं 1 का कब्जा मानकर प्रकरण निस्तारण में त्रुटि की है। प्रकरण में पक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल वाद में होगा तब तक रिकार्डेड सहखातेदार को उनके हक से वंचित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं का भी विवेचन नहीं किया है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.04.2015 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा